तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
25/7/25	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश किया कि भूमि खाता सं. नई 06 पुरानी 08 के ख.नं. 915, 919 कुल किता 02 कुल रकबा 1.90 हैक्ट. वाके राजस्व मौजा बेसला का वास बड़ियाल कलाँ तह. बाँदीकुई में स्थित है। प्रार्थी का हिस्सा 1/3 आराजी भूमि ख.नं. 915 व 919 में है और इसी अनुसार प्रार्थी अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है। उपरोक्त ख.नं. में अप्रार्थीगण सं. 1 ला॰ 7 का कोई लेना देना नहीं है। अप्रार्थीगण लाठी के जोर पर प्रार्थी की कब्जे काश्त खातेदारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल करने, दीगर लोगों को बेचान करने पर आमादा है। जिन्हें पाबंद किया जावे। प्रार्थी वकील को एकपक्षीय सुना जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया गया। अप्रार्थीगण सं. 1 लगा॰ 7 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया कि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 ला॰ 7 एक ही परिवार के सदस्य है। भूमि मुतदाविया सम्पूर्ण पर अप्रार्थीगण निर्बाध रूप से लगभग 50 वर्ष पूर्व दिनांक 15-03-1973 से काबिज काश्त चले आ रहे है। अप्रार्थीगण सं. 8 ला॰ 26 का काबिज काश्त होना गलत दर्ज किया है। भूमि मुतदाविया पर अप्रार्थी ने चारागाह पुख्ता पाटोल का निर्माण कर रखा है। भूमि मुतदाविया पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है अतः उसे बेदखल करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें। प्रकरण में

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पटवारी हल्का मुण्डियरसा रिपोर्ट दि० 4-7-2024 प्राप्त हुई। प्रस्तुत रिपोर्ट के खाता सं. 6 के क्रा० ख-नं. 915, 919 पर वादीगण व अन्य सहखातेदारान का कब्जा काश्त नहीं है बल्कि विवादित भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा है बताया गया है। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पर उभयपक्ष वकील बहस सुनी। पटवारी हल्का मुण्डियरसा रिपोर्ट दि० 4-7-24 का अवलोकन किया गया। उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पटवारी हल्का रिपोर्ट व पत्रावली के अवलोकन के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर प्रादग्रस्त भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना प्रकट है तथा प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थनापत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के गलत तथ्य वर्णित कर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त की है तदनुसार प्राईमा फेसाई केस, अपूरणीय क्षति का सिद्धान्त व सुविधा का सन्तुलन अप्रार्थीगण के पक्ष में होना उचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्ष बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रकरण में भूमि खाता सं. नई 6 मुरब्बा 8 के ख-नं. 915 व 919 कुल किता-2 कुल रकबा 1.90 हैक्टेयर ग्राम कोल बेजला वास बडियाल कला तहसील रेडीकुई बाबत जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दि० 15-5-24 वेकेट किया जाकर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible]	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	
	फैसलानुसार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। 24/7/24	